न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 89/2017

बउनवानः–

चतुर्भुज पुत्र श्री देवलाल जाति गूर्जर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री के0 के0 सोनी

दायरा दिनांकः 18.09.2017

निर्णय दिनांक : 08.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम भटवाडा स्थित आराजी साबिक खसरा नं0 640/2 जिसके हाल खसरा नं0 490 रकबा 1.53 है0 बने है यह आराजी ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी वादी का कीमतन आवंटन हुआ था। जिसका खसरा नं0 490/1766 कायम किया गया है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 640/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा दिनांक 18.06.1980 को जर्ये मिसल नं0 200 से कीमतन आवंटन वादी के पक्ष में किया गया था विधिक रूप से सन् 1981 में दखल भी दिया गया था तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है, तथा उसका नाम जमाबंदी में बतौर खातेदार कृषक है। वादी को आवंटन किये जाने के पश्चात जर्ये इंतकाल नं0 854 दिनांक 26.12.2010 को खातेदारी वादी के पक्ष में दर्ज करते हुये सहवन वश साबिक आराजी खसरा नं0 640/2 के नये नम्बर 490/1766 दर्ज करते हुये रकबा 0.65 है0 वादी के खाते दर्ज हो गया जबकि रेकार्ड ऑफ राईट्स में जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 में आराजी खसरा नं0 490 रकबा 1.53 है0 किस्म नहरी प्रथम दर्ज है। दौराने दिये जाने खातेदारी वादी के पक्ष में साबिक खसरा नं0 640/2 नये नम्बर 490/1766 रकबा 0.89 है0 दर्ज न कर 0.24 है0 आराजी कम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी ने सम्पूर्ण रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की किश्त जमा कर सम्पूर्ण रकम जमा की है। वादी के पक्ष में रकबा कम दर्ज किया गया है। जो कि त्रुटिवश एवं कानून के विरूद्ध है। वादी आज भी वैधानिक कब्जा रखता है वादी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है तथा वादी काबिज काश्त है। व फसल प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में खोले गये गलत इंतकाल से वादी की आराजी कम कर दी गई है। प्रतिवादी ने गलत तरीके से वादी की आराजी साबिक रकबे के अनुसार दर्ज नही की है। इस कारण वादी

के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें और न्यायालय आदेश से आराजी को पुनः अपने खाते में दर्ज करावें। वादी उक्त अनुसार रकबा दुरूस्ती करा पा सकने तथा आराजी साबिक खसरा नं0 640/2 व हाल खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.89 है0 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकने का अधिकारी है। वादी का रकबा दुरूस्त नही किया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति का मूल्यांकन संभव नही है वादी को वैधानिक हकूक की भूमि से वंचित होना पडेगा तथा काश्त व्यवस्था में दखलअन्दाजी होगा और वादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा अतः न्यायहित में वादी के हकूको व काश्त की सुरक्षा के लिए कमी रकबा पूर्ति किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। अतः वादी का आवंटन शुदा भूमि ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नं0 640/2 के अनुसार हाल खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.65 है0 में 0.24 है0 जोडा जाकर खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.89 है0 का खातेदार घोषित किया जाकर आराजी को पुनः वादी के खाते में दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.09.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल दखलनामा ग्राम भटवाडा चतुर्भुज पुत्र देवलाल, नकल छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल ग्राम भटवाडा, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम भटवाडा नया व पुराना, नकल जमाबंदी ग्राम भटवाडा सम्वत 2070 से 2073 तक खाता सं0 98 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी ग्राम भटवाडा खाता सख्या 1 छायाप्रति, नकल छायाप्रति इंतकाल नं0 854, नकल छायाप्रति किस्म जमा की रसीद, नकल छायाप्रति खातेदारी अधिकार आदेश दिनांक 13.09.2017 की प्रति प्रदर्श करवायी। प्रतिवादीगण तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार ने दिनांक 11.02.2019 को उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2019/478 दिनांक 04.02.2019 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम भटवाडा के नामा0 सं0 212 में चतुर्भुज पुत्र देवलाल गूजर को पूर्व खसरा नं0 640/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि के खसरा नं0 490 बनते है। आवंटन हुई खसरा नं0 490 में 0.40 है0 पर आबादी है। नामा0 212 पर तस्दीक कर्ता द्वारा खसरा नं0 490 रकबा 0.65 है0 पर गैर खातेदार दर्ज करने तथा 0.40 है0 पर आबादी होने से सिवायचक दर्ज रहने का आदेश दिया गया है। खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.65 है0 पर चतुर्भुज काबिज काश्त है। ग्राम भटवाडा के नामा0 669 में रिपोर्ट पटवारी अनुसार कंवरलाल पुत्र रामनाथ माली को दिनांक 28.10.1988 को ग्राम भटवाडा के साबिक खसरा नं0 640/1 को दिनांक 28.10.1988 को ग्राम भटवाडा के साबिक खसरा नं0 640/1 की 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटन हुई है। जिसके हाल खसरा नं0 472 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 473 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 474 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 475 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 490 रकबा 0.29 है0 कुल किता 5 रकबा 0.89 है0 दर्ज हुई है। नामा0

[illegible] में तस्दीककर्ता द्वारा कुल 5 रकबा 0.89 है0 पर कंवरलाल को गैरखातेदार दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में खसरा नं0 472 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 473 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 474 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 475 रकबा 0.16 है0 पर कंवरलाल माली के वारिसान का कब्जा काश्त है तथा खसरा नं0 490/1830 रकबा 0.29 है0 पर कंवरलाल माली के वारिसान का कब्जा काश्त नही है। खसरा नं0 490/1830 व खसरा नं0 490/1766 के कुछ हिस्से पर आबादी बसी है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वकील वादी की दिनांक 08.02.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका वाद पत्र में अंकन किया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि वादी की आवंटन शुदा भूमि ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नं0 640/2 के अनुसार हाल खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.65 है0 में 0.24 है0 जोडा जाकर खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.89 है0 का खातेदार घोषित किया जावे। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात, सुनी गयी बहस व तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटवाडा की आराजी साबिक खसरा नं0 640/2 जिसके हाल खसरा नं0 490 रकबा 1.53 है0 में से वादी को आवंटन हुयी भूमि आराजी खसरा नं0 640/2 मे से रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 490/1766 रकबा 0.65 है0 में रकबा 0.24 है0 की कमी की गयी, की पूर्ति खसरा नं0 490 रकबा 1.53 है0 में से रकबा 0.24 है0 कम कर बाद सेटलमेंट किये गये वादी की आराजी में कमी रकबा 0.24 है0 की पूर्ति कर खसरा नं0 490/1766 का रकबा 0.89 है0 दुरूस्त कर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नं0 490/1766 के कुछ हिस्से पर आबादी बसी है जो यथावत रहेगीं। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सु